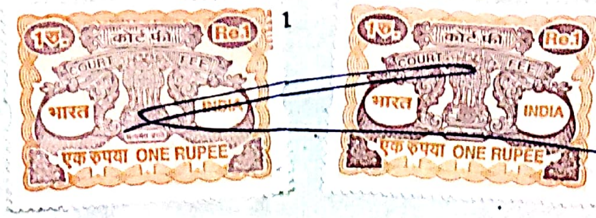

न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर (राज0)

–00–566

अपील संख्या /2025

–00–

2025/566

1. नारायणनवाल एचयूएफजरिये नारायणनवाल पुत्र चन्द्रनारायण जाति– माहेश्वरी निवासी स्टेशन रोड विजयनगर जिला ब्यावर
2. राजनवाल एचयूएफजरिये राजनवाल पुत्र नारायण नवाल जाति– माहेश्वरी निवासी स्टेशन रोड विजयनगर,

अपीलार्थीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

(16.12.25)

बनाम

566/2025
15/12/25

1. दीपक मंत्री पुत्र हरगोविन्द मंत्री जाति– माहेश्वरी निवासी सांपला,सरवाड, जिला अजमेर
2. सुनिता माहेश्वरी पत्नि मनोज कुमार झंवर जाति निवासी मकान नं0 1178, सुभाषगंज, नसीराबाद,
3. भूतल परिवहन मंत्रालय (NHAI), भारत सरकार,
4. सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार,
5. श्रीमान तहसीलदार महोदय जरिये राजस्थान सरकार नसीराबाद
6. केनरा बैंक जरिये मैनेजर, एम0जी0 मार्ग अजमेर
7. नन्दकिशोर एचयूएफ जरिये कर्ता नन्दकिशोर माहेश्वरी पुत्र चांदकरण माहेश्वरी निवासी - सुभाषगंज अनाजमंडी, नसीराबाद

रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्त अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2025 उनवान नारायण व अन्य बनाम दीपक व अन्य प्रकरण संख्या 190/2025 के विरूद्व बाबत

श्रीमानजी,

माननीय न्यायालय से अपीलार्थीगण की ओर निम्न निवेदन है कि:–

1. यह कि अधीनस्त न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया जिसके साथ में अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

नारायणनवल बनाम दीपक मंत्री वगैरह

किस्म मुकदमा:– 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 566 / 2025 (नसीराबाद)

दिनांक 05/01/26

	श्री नवीन गुर्जर	
15.12.2025	नारायणनवाल बनाम दीपक मंत्री (2025 / 566) यह अपील श्री नवीन गुर्जर एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 190 / 2025 में पारित आदेश दिनांक 08.12. 2025 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 05.01.2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
05.01.2026	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभभाषक अपीलांट को दिनांक 15.12.2025 को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। हमने अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हमने पाया कि प्रार्थी / अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज अप्रार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये। उक्त नोटिस जारी किये जाने के विरूद्ध अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है जिसका अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया जाना है। अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है। **अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	